

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 75

ग्रामीण विकास विभाग

क. वस्तुओं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	67263.31	47.30	67310.61	71642.00	53.08	71695.08	77650.00	50.35	77700.35	86000.00	55.80	86055.80
पूँजी
जोड़	67263.31	47.30	67310.61	71642.00	53.08	71695.08	77650.00	50.35	77700.35	86000.00	55.80	86055.80
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय - आर्थिक सेवा	3451	35.00	35.00
2. राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन - आजीविका												
2.01 कार्यक्रम घटक	2501	1143.00	...	1143.00
	3601	700.00	...	700.00
	जोड़	1843.00	...	1843.00
2.02 ईएपी घटक	2501	115.00	...	115.00
	3601	820.20	...	820.20
	जोड़	935.20	...	935.20
2.03 संघ राज्य क्षेत्र योजना	3602	3.30	...	3.30
2.04 एनईआर	2552	218.50	...	218.50
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन - आजीविका		3000.00	...	3000.00
3. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष को अंतरण	2505	38500.00	...	38500.00
4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना												
4.01 कार्यक्रम घटक	2505	16056.02	...	16056.02
	3601	22429.98	...	22429.98
	3602	14.00	...	14.00
	जोड़	38500.00	...	38500.00
4.02 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष से पूरित धनराशि	2505	-16056.02	...	-16056.02
	3601	-22429.98	...	-22429.98
	3602	-14.00	...	-14.00
	जोड़	-38500.00	...	-38500.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	कुल
5. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)												
5.01 कार्यक्रम घटक	2216	128.00	...	128.00
	2552	1500.00	...	1500.00
	3601	13368.00	...	13368.00
	3602	4.00	...	4.00
	जोड़	15000.00	...	15000.00
6. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम												
6.01 कार्यक्रम घटक	2235	10.39	...	10.39
	2552	950.00	...	950.00
	3601	8465.61	...	8465.61
	3602	74.00	...	74.00
	जोड़	9500.00	...	9500.00
7. केंद्रीय सड़क कोष को अंतरण												
7.01 केंद्रीय सड़क कोष को अंतरण	3054	13984.00	...	13984.00
8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
8.01 कार्यक्रम घटक	3054	1404.51	...	1404.51
	3601	11176.49	...	11176.49
	जोड़	12581.00	...	12581.00
8.02 ईएपी घटक	3054	16.00	...	16.00
	3601	5000.00	...	5000.00
	जोड़	5016.00	...	5016.00
8.03 संघ राज्य क्षेत्र योजना	3602	5.00	...	5.00
8.04 एनईआर	2552	1398.00	...	1398.00
8.05 केंद्रीय सड़क कोष से पूरित धनराशि	3054	-1404.51	...	-1404.51
	3601	-12574.49	...	-12574.49
	3602	-5.00	...	-5.00
	जोड़	-13984.00	...	-13984.00
	कुल	5016.00	...	5016.00
9. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन	2515	2.20	...	2.20
	2552	30.00	...	30.00
	3601	267.75	...	267.75
	3602	0.05	...	0.05
	जोड़	300.00	...	300.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
10. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान	2515	45.00	19.00	64.00
	2552	5.00	...	5.00
	जोड़	50.00	19.00	69.00
11. सेक सेंसस	2515	337.50	...	337.50
	2552	37.50	...	37.50
	जोड़	375.00	...	375.00
12. कपार्ट	2515	20.00	...	20.00
13. ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जिला योजना प्रक्रिया की सुदृढीकरण के लिए प्रबंधन सहायता	2515	229.50	1.80	231.30
	2552	25.50	...	25.50
	जोड़	255.00	1.80	256.80
सं.अ. 2015-2016												
14. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	30.01	30.01	...	33.03	33.03	...	30.75	30.75
15. आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन												
15.01 कार्यक्रम घटक	2501	140.44	...	140.44	977.70	...	977.70	958.70	...	958.70
15.02 ईएपी घटक	2501	17.28	...	17.28	100.00	...	100.00	123.00	...	123.00
जोड़- आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन		157.72	...	157.72	1077.70	...	1077.70	1081.70	...	1081.70
ग्रामीण रोजगार												
16. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना												
16.01 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु सहायता	2505	513.31	...	513.31	986.00	...	986.00	1200.25	...	1200.25
16.02 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	2505	-513.31	...	-513.31	-986.00	...	-986.00	-1200.25	...	-1200.25
	कुल
आवास												
17. ग्रामीण आवास												
17.01 इंदिरा आवास योजना	2216	9.39	...	9.39	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00
17.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	2216
	कुल	9.39	...	9.39	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम												
18. डीआरडीए प्रशासन	2515
19. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	2515	28.23	15.70	43.93	45.00	18.25	63.25	45.00	17.80	62.80
20. कापार्ट को सहयोग	2515	6.00	...	6.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
21.	ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2515
22.	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु प्रबंध सहायता और जिला योजना प्रक्रिया आदि का सुदृढीकरण	2515	124.25	1.59	125.84	117.00	1.80	118.80	117.00	1.80	118.80
23.	बीपीएल सर्वेक्षण	2515	332.33	...	332.33	315.00	...	315.00	295.00	...	295.00
		3601
		3602
		जोड़	332.33	...	332.33	315.00	...	315.00	295.00	...	295.00
24.	फ्लैक्सी निधि	2515
25.	आरयूआरबीएएन मिशन	2515	2.00	...	2.00	270.00	...	270.00	30.00	...	30.00
26.	ग्रामीण उद्यमिता प्रारंभन कार्यक्रम	2515	180.00	...	180.00	13.00	...	13.00
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			492.81	17.29	510.10	937.00	20.05	957.05	510.00	19.60	529.60
सड़कें और पुल													
27.	केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	3054	4160.20	...	4160.20	3030.03	...	3030.03	4134.25	...	4134.25
28.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)												
28.01	कार्यक्रम घटक	3054	4179.64	...	4179.64	4134.25	...	4134.25	3058.54	...	3058.54
28.02	ईएपी घटक	3054	49.10	...	49.10	50.75	...	50.75	50.75	...	50.75
28.03	पीएमजीएसवाई पर सीआरएफ से पूरी की गई राशि	3054	-4160.20	...	-4160.20	-3030.03	...	-3030.03	-4134.25	...	-4134.25
		कुल	68.54	...	68.54	1154.97	...	1154.97	-1024.96	...	-1024.96
जोड़-सड़कें और पुल			4228.74	...	4228.74	4185.00	...	4185.00	3109.29	...	3109.29
29.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2235	3.03	...	3.03	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
30.	राष्ट्रीय निवेश - निधि को अंतरण												
30.01	ग्रामीण रोजगार	2505
30.02	ग्रामीण आवास	2216
	जोड़- राष्ट्रीय निवेश - निधि को अंतरण	
31.	राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड को अंतरण												
31.01	राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड को अंतरण	2505	513.31	...	513.31	986.00	...	986.00	1200.25	...	1200.25
31.02	एनआईएफ से पूरी की गई राशि	2505
		कुल	513.31	...	513.31	986.00	...	986.00	1200.25	...	1200.25
32.	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान												
32.01	आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	2552	122.30	...	122.30	127.70	...	127.70
32.02	ग्रामीण आवास	2552
32.03	डीआरडीए प्रशासन	2552

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
32.04 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	2552	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
32.05 ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2552
32.06 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु प्रबंध सहायता और जिला योजना प्रक्रिया आदि का सुदृढीकरण	2552	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00
32.07 बीपीएल सर्वेक्षण	2552	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00
32.08 फ्लेक्सी निधि	2552
32.09 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - कार्यक्रम घटक	2552
32.10 आरयूआरबीएएन मिशन	2552	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
32.11 ग्रामीण उद्यमिता प्रारंभन कार्यक्रम	2552	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान		225.30	...	225.30	230.70	...	230.70
राज्य आयोजना स्कीमें												
33. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन												
33.01 कार्यक्रम घटक-राज्य आयोजना	3601	837.90	...	837.90	911.80	...	911.80	847.80	...	847.80
33.02 ईएपी घटक	3601	416.00	...	416.00	300.00	...	300.00	527.00	...	527.00
33.03 कार्यक्रम घटक-संघ राज्य क्षेत्र आयोजना	3602	1.60	...	1.60	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
33.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान	2552	88.20	...	88.20	82.80	...	82.80
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन		1255.50	...	1255.50	1305.00	...	1305.00	1462.60	...	1462.60
34. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण	3601	32456.00	...	32456.00	33700.00	...	33700.00	35753.75	...	35753.75
	3602	7.40	...	7.40	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00
जोड़		32463.40	...	32463.40	33713.00	...	33713.00	35766.75	...	35766.75
35. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम												
35.01 कार्यक्रम घटक-राज्य आयोजना	3601	32456.00	...	32456.00	33700.00	...	33700.00	35753.75	...	35753.75
35.02 कार्यक्रम घटक-सं.रा.क्षेत्र अयोजना	3602	7.40	...	7.40	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00
35.03 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	3601	-32456.00	...	-32456.00	-33700.00	...	-33700.00	-35753.75	...	-35753.75
	3602	-7.40	...	-7.40	-13.00	...	-13.00	-13.00	...	-13.00
जोड़		-32463.40	...	-32463.40	-33713.00	...	-33713.00	-35766.75	...	-35766.75
कुल	
36. ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना	2552	1003.00	...	1003.00	1003.00	...	1003.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
3601	11096.15	...	11096.15	8997.00	...	8997.00	8997.00	...	8997.00	
3602	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	
जोड़	11096.15	...	11096.15	10004.00	...	10004.00	10004.00	...	10004.00	
37. केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	3601	4160.20	...	4160.20	4623.47	...	4623.47	12487.66	...	12487.66	
38. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना													
38.01 कार्यक्रम घटक- राज्य क्षेत्र आयोजना	3601	5439.59	...	5439.59	6256.95	...	6256.95	10932.66	...	10932.66	
38.02 कार्यक्रम घटक- सं.रा. क्षेत्र आयोजना	3602	6.00	...	6.00	12.00	...	12.00	
38.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552	1070.00	...	1070.00	1155.00	...	1155.00	1555.00	...	1555.00	
38.04 ईएपी घटक	3601	3449.99	...	3449.99	2688.05	...	2688.05	2688.05	...	2688.05	
38.05 पीएमजीएसवाई संबंधी सीआरएफ से पूरी की गई राशि	3601	-4160.20	...	-4160.20	-4623.47	...	-4623.47	-12487.66	...	-12487.66	
	3602	-6.00	...	-6.00	
जोड़	-4160.20	...	-4160.20	-4623.47	...	-4623.47	-12493.66	...	-12493.66	
कुल	5799.38	...	5799.38	5482.53	...	5482.53	2694.05	...	2694.05	
39. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2552	308.72	...	308.72	909.00	...	909.00	909.00	...	909.00	
	3601	6726.54	...	6726.54	8091.00	...	8091.00	8091.00	...	8091.00	
	3602	48.42	...	48.42	74.00	...	74.00	74.00	...	74.00	
जोड़	7083.68	...	7083.68	9074.00	...	9074.00	9074.00	...	9074.00	
जोड़-राज्य आयोजना स्कीमें		61858.31	...	61858.31	64202.00	...	64202.00	71489.06	...	71489.06	
कुल जोड़		67263.31	47.30	67310.61	71642.00	53.08	71695.08	77650.00	50.35	77700.35	86000.00	55.80	86055.80
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12501	157.72	...	157.72	1077.70	...	1077.70	1081.70	...	1081.70	1258.00	...	1258.00
2. ग्रामीण रोजगार	12505	513.31	...	513.31	986.00	...	986.00	1200.25	...	1200.25	
3. आवास	22216	9.39	...	9.39	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	128.00	...	128.00
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	492.81	...	492.81	937.00	...	937.00	510.00	...	510.00	634.20	...	634.20
5. सड़क एवं पुल	13054	4228.74	...	4228.74	4185.00	...	4185.00	3109.29	...	3109.29	1420.51	...	1420.51
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	225.30	...	225.30	230.70	...	230.70	4164.50	...	4164.50
7. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	3.03	...	3.03	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	10.39	...	10.39
जोड़ - केन्द्रीय योजना		5405.00	...	5405.00	7440.00	...	7440.00	6160.94	...	6160.94	7615.60	...	7615.60
राज्य योजना:													

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
1.	विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43601	1253.90	...	1253.90	1300.00	...	1300.00	1457.60	...	1457.60	1520.20	...	1520.20
2.	ग्रामीण रोजगार	43601	32456.00	...	32456.00	33700.00	...	33700.00	35753.75	...	35753.75	38500.00	...	38500.00
3.	आवास	43601	11096.15	...	11096.15	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	13368.00	...	13368.00
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43601	267.75	...	267.75
5.	सड़कें और पुल	43601	9959.58	...	9959.58	10100.00	...	10100.00	15175.71	...	15175.71	16176.49	...	16176.49
6.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	43601	7035.26	...	7035.26	9000.00	...	9000.00	9000.00	...	9000.00	8465.61	...	8465.61
जोड़ - राज्य योजना			61800.89	...	61800.89	64100.00	...	64100.00	71387.06	...	71387.06	78298.05	...	78298.05
संघ राज्य क्षेत्र योजना :														
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)														
1.	विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43602	1.60	...	1.60	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	3.30	...	3.30
2.	ग्रामीण रोजगार	43602	7.40	...	7.40	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00
3.	आवास	43602	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43602	0.05	...	0.05
5.	सड़कें और पुल	43602	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00
6.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	43602	48.42	...	48.42	74.00	...	74.00	74.00	...	74.00	74.00	...	74.00
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना			57.42	...	57.42	102.00	...	102.00	102.00	...	102.00	86.35	...	86.35
जोड़			67263.31	...	67263.31	71642.00	...	71642.00	77650.00	...	77650.00	86000.00	...	86000.00

1. यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वर्ष 2011 में शुरू किया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि आवासीय एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को मिलाकर एक योजना बना दी जाएगी और इसे 'दीनदयाल अंत्योणदय योजना (डीएवाई)' नाम दिया जाएगा।

एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व-सहायता समूहों में संगठित करना और उनका तब तक पालन-पोषण एवं सहायता प्रदान करना है जब तक कि समय बीतने के साथ उनकी आय में अच्छी खासी वृद्धि होने के साथ-साथ उनकी जीवन दशा सुधर नहीं जाती और वे घोर गरीबी से उबर नहीं आते। एनआरएलएम 10 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सभी ग्रामीण निर्धन महिलाओं, जिनकी अनुमानित संख्या 8 से 10 करोड़ है, तक पहुंचने का प्रयास करता है।

एसएचजी और उनके संघों को परिक्रामी निधि तथा सामुदायिक निवेश निधि दी जाती है जो उनकी कॉर्पस निधि में जुड़ती जाती है। सदस्यों को उनके आजीविका संबंधी कार्यक्रम शुरू करने और उपभोग संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए इस कॉर्पस निधि से ऋण दिया जाता है और पुनर्भुगतान पर काफी कम ब्याज लगाया जाता है। एनआरएलएम बैंक लिंक के माध्यम से ग्रामीण गरीब परिवारों के एसएचजी सदस्यों के वित्तीय समावेशन का समर्थन करता है और इन एसएचजी को निधि की

उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य भी करता है। अन्य बैंकों द्वारा लगाए गए औसतन 10.90 प्रतिशत से 13 प्रतिशत की व्याज दर की तुलना में एसएचजी को इन बैंकों से 7 प्रतिशत की दर पर ऋण मिलता है। इसमें अंतर एनआरएलएम के माध्यम से उपलब्ध कराई गई व्याज सब्सिडी की है। पहले 150 चुनिंदा जिलों में सभी महिला स्व-सहायता समूहों को ऋणों का शीघ्र पुनर्भुगतान करने पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त व्याज सब्सिडी मुहैया कराई जाती थी। अब इसे 100 अन्य जिलों में (कुल 250 जिले) लागू किया गया है।

आजीविका को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सरकार ने स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसईवीपी) शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यम शुरू करने में गरीबों को सहायता प्रदान करने और उनके उद्यम के सुदृढ़ हो जाने तक उन्हें सहायता प्रदान करना है। इन सभी प्रयासों के अंतर्गत आजीविका में लघु वित्तपोषण की भूमिका पर लगातार ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) एनआरएलएम के घटकों में से एक है। इसमें गरीबों की कृषि आधारित मौजूदा आजीविकाओं को बेहतर बनाने तथा कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) कारीगरों और बुनकरों की आजीविकाओं को बेहतर बनाने वाला गैर-कृषि कार्यों से जुड़ा एक नया आजीविका कार्यक्रम है। इस अवधारणा को मानक बनाने के पहले चरण में एसवीईपी से यह अपेक्षा की जाती है कि लक्षित 4 वर्षों अर्थात् 2015-19 में 24 राज्यों के 125 ब्लॉकों में लगभग 1.82 लाख ग्राम उद्यम शुरू करने और इन्हें सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी तथा लगभग 3.78 लाख व्यक्ति यों के लिए रोजगार सृजित होंगे।

ग्रामीण गरीब परिवारों के युवकों को लघु उद्यम स्थापित करने में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था न (आरएसईटीआई) की स्थापना की जा रही है।

12वीं योजना अवधि के दौरान एनआरएलएम के लिए अनुमोदित परिव्यय 29006 करोड़ रु. था। वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन 2505 करोड़ रु. है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन 389 जिलों के 2900 ब्लॉकों में शुरू हो चुका है। चालू वर्ष के दौरान 1.64 लाख स्वआ-सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया। 73,000 स्व-सहायता समूहों को प्रिक्रामी निधि के रूप में 102.50 करोड़ रु. तथा 45,550 स्व-सहायता समूहों और उनके संघों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में कुल 191.92 करोड़ रु. की राशि वितरित की गई थी। एनआरएलएम के उप घटक एमकेएसपी के अंतर्गत 15 राज्यों में कुल 100 करोड़ रु. के परिव्यय से लगभग 34 लाख महिला किसानों को सहायता दी जा रही है। आरएसईटीआई के अंतर्गत नवंबर, 2015 तक 2.4 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है जबकि 1.26 लाख युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

3 and 4. महात्माप गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2.2.2006 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इच्छुक वयस्क 0 सदस्यों के लिए कम से कम 100 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने की व्यवस्था करना है। शुरूआत में इसे देश के 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया। बाद में दो चरणों में इसे पूरे देश में लागू किया गया।

मनरेगा में टिकाऊ और लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन की परिकल्पना की गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का काफी अधिक आर्थिक और पारिस्थितिकीय विकास होगा। परिसंपत्ति यां सृजित करने के उद्देश्य में स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा जाता है और कार्यस्थल पर सामुदायिक भागीदारी और विभागीय तालमेल की आवश्यकता होती है।

भारत सरकार की समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत शामिल किए गए पिछड़े जिलों पर विशेष बल दिया गया है। ऐसे आईएपी जिलों में मनरेगा कामगारों के लिए समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, उन क्षेत्रों में नकद भुगतान करने की अनुमति दी गई है, जहां बैंकों/डाकघरों की मौजूदगी काफी कम है। मनरेगा के अंतर्गत खेल के मैदानों और आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले अनुमेय क्रियाकलापों में से एक क्रियाकलाप के रूप में अधिसूचित किया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए सरकार द्वारा चुने गए 51 ग्रामीण जिलों में से 46 जिलों में मजदूरी का आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

5. सभी के लिए मकान: प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण तथा मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे मकानों के उन्नयन में सहायता उपलब्ध कराना।

1995-96 से आई.ए.वाई. का लाभ सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए सशस्त्र एवं अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के परिवारों को भी दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता के लिए योजना के अंतर्गत कम से कम 60% निधियां निर्धारित की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विकलांगों के लिए 3% निधियां आरक्षित हैं। बीपीएल अल्पसंख्यकों (15 प्रतिशत) के लिए आईएवाई निधियां तथा वास्तविक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं।

इस योजना के तहत प्रत्येक मकान के लिए मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रु. तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 75,000 रु. की वित्तीय सहायता दी जाती है। कच्चे/टूटे-फूटे मकानों के उन्नयन के लिए 15,000 रु. की सहायता दी जाती है। 'स्वच्छ भारत अभियान' के साथ तालमेल करके अब सैनिक शौचालय को आईएवाई मकानों का अनिवार्य अंग बना दिया गया है।

6. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत राज्यों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यू पीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफवीएस) और अन्नपूर्णा योजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

7 and 8. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोर नेटवर्क में मौजूद सड़कों से न जुड़ी सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों या इससे ऊपर की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) और विशेष श्रेणी के राज्यों, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों, मरुभूमि क्षेत्रों (मरुभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित) तथा समेकित कार्य योजना के अंतर्गत चुने गए 82 जनजातीय तथा पिछड़े जिलों में 250 व्यक्तियों या इससे ऊपर की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली सभी सड़कविहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कुल 178184 बसावटों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। खेतों से बाजार तक पूर्णतः सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम में मौजूदा 3.75 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लक्ष्य वाला एक उन्नयन घटक भी है (ग्रामीण सड़कों के 40 प्रतिशत नवीनीकरण सहित जिसका वित्तीय पोषण राज्यों द्वारा किया जाएगा)।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों में सहायता प्रदान करने के लिए, विभिन्न राज्यों में बाह्य सहायता प्राप्त 3 परियोजनाएं अर्थात् एशियाई विकास बैंक की सहायता से ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना 1 और II तथा विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण सड़क परियोजना-1 क्रियान्वित की जा रही है। वर्तमान में कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए एडीबी से ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना-1 पर भी बातचीत चल रही है। विश्व बैंक की ग्रामीण सड़क परियोजना-2 के अंतर्गत 14.1.2011 को 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह परियोजना 7 राज्यों में चल रही है।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित परियोजना आधारित अवसंरचना का निर्माण, आर्थिक क्रिया-कलापों का विकास और कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए 2014-15 के बजट में एमपीएमआरएम की घोषणा की गई थी। इस योजना का मिशन उद्देश्य ग्रामीण क्लस्टरों में जीवन की गुणवत्ता/रहन-सहन के स्तर को बेहतर बनाना, शहरी-ग्रामीण अंतर को दूर

करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को कम करना तथा अंततः शहरों से गांवों की ओर लौटने में मदद करना है।

10. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था न (एनआईआरडी) भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक शीर्ष संस्था न है। विकासात्मक मुद्दों पर पाठ्यक्रम आयोजित करने के अलावा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के कर्मियों की क्षमता का निर्माण एनआईआरडी के मुख्य विषय हैं।

11. यह प्रावधान मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्यल किए जाने वाले ग्रामीण बीपीएल परिवारों के निर्धारण के उद्देश्य से बीपीएल सर्वेक्षण कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

12. लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपाट) का उद्देश्य विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और आवश्यकता आधारित अभिनव परियोजनाओं में गैर-सरकारी स्वयच्छिद्ध संगठनों के माध्यम से लोगों को शामिल करना है। कपाट उच्च स्तर की सामाजिक एकजुटता के माध्यम से सामाजिक बाधाओं को कम करके एवं ग्रामीण गरीबों को अधिकार देकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन आंदोलन शुरू करने का कार्य करती है।

13. इसमें प्रशिक्षण कार्यकलापों, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र के सुदृढीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला नियोजन प्रक्रिया के सुदृढीकरण के प्रावधान को शामिल किया गया है।